राजस्व प्रार्थना पत्र 43/2021
जीसीएमएसम नंबर 2021/384
हनुमानराम वगैरह बनाम् गणपतराम वगैरह व सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी—रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र—43/2021

प्रार्थी—

1. हनुमानराम पुत्र बद्रीराम
2. सुनिल कुमार पुत्र बद्रीराम जातियान कुम्हार प्रजापति निवासी रोहिणा तहसील— जायल , जिला—नागौर। हाल निवासी गोरड़ी चांचा तहसील डेगाना, नागौर।

बनाम

अप्रार्थी—

1. गणपतराम पुत्र बद्रीराम
2. गोविन्दराम पुत्र बद्रीराम , जातियान कुम्हार प्रजापति निवासी रोहिणा तहसील— जायल , जिला—नागौर। हाल निवासी गोरड़ी चांचा तहसील डेगाना। 3.

3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित—

1. अभिभाषक श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थीगण की ओर से
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वंय उपस्थित।
3. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम—1956

निर्णय दिनांक :— 30/12/2021

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम हनुमानराम पुत्र बद्रीराम व सुनिल कुमार पुत्र ब्रदीराम ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा रोहिणा तहसील जायल के सम्वत् 2070—2073 खतौनी सं. 114 के खसरा नम्बर 1202/4 रकबा 1.5054 में प्रार्थीगण का नाम हडमानराम पुत्र बद्रीराम हिस्सा 1/4 व तौलाराम पुत्र बद्रीराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार प्रजापति सा. देह खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी सुनील के मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या एनएक्सएल/0122739, जन आधार संख्या 4834061460 , राशनकार्ड 008349115095, व आधारकार्ड संख्या 4088 2650 5743, प्रार्थी हनुमानराम द्वारा प्रस्तुत 50 रू के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मे प्रार्थी का सही नाम सुनील कुमार

30/12/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

दर्ज हैं तथा प्रार्थी हनुमानराम के राशन कार्ड संख्या 008349115098, आधार कार्ड संख्या 2790 4656 1518, मतदाता पहचान पत्र संख्या एनएक्सएल/0122747, जन आधार कार्ड संख्या 4834052724, प्रार्थी हनुमानराम द्वारा प्रस्तुत 50 रू के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र में प्रार्थी का नाम हनुमानराम दर्ज है। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 ग्रम पंचायत रोहिणा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या संख्या 1 से 2 ने उपस्थित होकर हनुमानराम व सुनिल कुमार का नाम मुताबिक रेकर्ड जमाबंदी में सही करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता गोविन्दराम ढाका तथा ग्राम पचांयत संरपच शारदा ने की । जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 3 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 29.11.2021 को मय हल्का पटवारी रोहिणा की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थीगण का नाम ऑनलाईन जमांबदी संम्वत 2073–2076 स्थायी में हडमानराम पुत्र बद्रीराम हिस्सा 1/4 व तौलाराम पुत्र बद्रीराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार प्रजापति सा. देह खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण खाता संख्या 114 खसरा नंबर 1202/4 रकबा 1.5054 हैक्टेयर में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण को गांव में वर्तमान में भी हड़मानराम व तौलाराम के नाम से जाना व पुकारा जाता है। जबकि प्रार्थीगण सुनील एवं हनुमानराम के अन्य दस्तावेज मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या एनएक्सएल/0122739, जन आधार संख्या 4834061460, राशनकार्ड 008349115095, व आधारकार्ड संख्या 4088 2650 5743, प्रार्थी सुनील कुमार द्वारा प्रस्तुत 50 रू के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मे प्रार्थी का सही नाम सुनील कुमार दर्ज हैं तथा प्रार्थी हनुमानराम के राशन कार्ड संख्या 008349115098, आधार कार्ड संख्या 2790 4656 1518, मतदाता पहचान पत्र संख्या एनएक्सएल/0122747, जन आधार कार्ड संख्या 4834052724, प्रार्थी हनुमानराम द्वारा प्रस्तुत 50 रू के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र में प्रार्थी का नाम हनुमानराम दर्ज है। प्रार्थीगण को गांव में बोलचाल में हड़मानराम व तौलाराम के नाम से पुकारने कारण विरासत का नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थीगण का नाम हड़मानराम व तौलाराम दर्ज किया था। उपस्थित मौतबिरानों ने हड़मानराम व हनुमानराम तथा तौलाराम व सुनिल दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 43/2021
जीसीएमएसम नंबर 2021/384
हनुमानराम वगैरह बनाम् गणपतराम वगैरह व सरकार

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी रोहिणा तहसील जायल की रिपोर्ट, मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या एनएक्सएल/0122739, जन आधार संख्या 4834061460 , राशनकार्ड 008349115095, व आधारकार्ड संख्या 4088 2650 5743, प्रार्थी सुनील कुमार द्वारा प्रस्तुत 50 रू के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मे प्रार्थी का सही नाम सुनील कुमार दर्ज हैं तथा प्रार्थी हनुमानराम के राशन कार्ड संख्या 008349115098 , आधार कार्ड संख्या 2790 4656 1518 , मतदाता पहचान पत्र संख्या एनएक्सएल/0122747, जन आधार कार्ड संख्या 4834052724 , प्रार्थी हनुमानराम द्वारा प्रस्तुत 50 रू के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र में प्रार्थी का नाम हनुमानराम दर्ज है के दस्तावेजात् तथा नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 114 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थीगण की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में रोहिणा के खतौनी सं. 114 में अंकित खसरा नं. 1202/4 प्रार्थीगण का नाम हड़मानराम के स्थान पर हनुमानराम व तौलाराम के स्थान पर सुनिल कुमार शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज रोहिणा तहसील के खतौनी सं. 114 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा अन्य खातेदार के साथ सहखातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या एनएक्सएल/0122739, जन आधार संख्या 4834061460 , राशनकार्ड 008349115095, व आधारकार्ड संख्या 4088 2650 5743, प्रार्थी सुनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत 50 रू के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मे प्रार्थी का सही नाम सुनील कुमार दर्ज हैं तथा प्रार्थी हनुमानराम के राशन कार्ड संख्या 008349115098 , आधार कार्ड संख्या 2790 4656 1518 , मतदाता पहचान पत्र संख्या एनएक्सएल/0122747, जन आधार कार्ड संख्या 4834052724 , प्रार्थी हनुमानराम द्वारा प्रस्तुत 50 रू के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र में प्रार्थी का नाम हनुमानराम दर्ज है कि फोटो प्रति में प्रार्थीगण हड़मानराम व हनुमानराम एवं तौलाराम व सुनिल कुमार एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थीगण सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय हनुमानराम के स्थान पर हड़मानराम तथा सुनील कुमार के स्थान पर तौलाराम दर्ज हुआ है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि प्रार्थीगण हड़मानराम व हनुमानराम एवं तौलाराम व सुनिल कुमार दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये हड़मानराम के स्थान पर हनुमानराम तथा तौलाराम के स्थान पर सुनिल कुमार का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 114 में दर्ज सहखातेदार नाम हड़मानराम के स्थान पर वास्तविक नाम हनुमानराम तथा तौलाराम के स्थान पर वास्तविक नाम सुनिल कुमार दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम रोहिणा तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 114 खसरानं. 1202/4 में दर्ज नाम हड़मानराम के स्थान पर वास्तविक नाम हनुमानराम तथा तौलाराम के स्थान पर वास्तविक नाम सुनिल कुमार दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 30/12/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

30/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner